LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, July 31, 2025 / Sravana 09, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, July 31, 2025 / Sravana 09, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

CONGRATULATIONS TO TEAM OF SCIENTISTS OF INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION ON THE SUCCESSFUL LAUNCH OF NASA-ISRO SYNTHETIC APERTURE RADAR SATELLITE	1
NOMINATION TO PANEL OF CHAIRPERSONS	1
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 161 – 162)	1A – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 163 – 180)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 1841 – 2070)	51 – 280

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, July 31, 2025 / Sravana 9, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, July 31, 2025 / Sravana 9, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 85**
COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES	**285**
Statements	
STANDING COMMITTEE ON FINANCE	**286**
14th to 18th Reports	
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 2ND, 4TH AND 23RD REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES – LAID	**287**
Dr. Raj Bhushan Choudhary	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 334TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE – LAID	**287**
Shri Murlidhar Mohol	
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**288 - 300**
Shri Bhartruhari Mahtab	**288**
Shri P. P. Chaudhary	**288**
Shri Vijay Kumar Dubey	**289**
Shri Bidyut Baran Mahato	**289**
Shri Vishnu Dayal Ram	**290**
Shri Ashish Dubey	**290**
Dr. Rajesh Mishra	**291**

Shri Ramvir Singh Bidhuri 291

Shri Parimal Suklabaidya 292

Shri Arun Kumar Sagar 292

Shrimati Anita Subhadarshini 293

Shri Lumbaram Choudhary 293

Shri Rahul Kaswan 294

Shri Shyamkumar Daulat Barve 294

Shri Chamala Kiran Kumar Reddy 295

Dr. Prashant Yadaorao Padole 295

Adv. Dean Kuriakose 296

Shri Virendra Singh 296

Shri G. Selvam 297

Dr. Alok Kumar Suman 297

Dr. Amol Ramsing Kolhe 298

Shri Shrirang Appa Chandu Barne 298

Shri K. Radhakrishnan 299

Dr. D. Ravi Kumar 300

STATEMENT RE: INDIA - US BILATERAL TRADE 301 - 02

Shri Piyush Goyal

… 303

(1100/VB/SM)
1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की टीम को बधाई

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F16 रॉकेट के माध्यम से नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह अपनी तरह का पहला मिशन है, जिसके माध्यम से इस उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह को माइक्रोवेव इमेजिंग के उद्देश्य से भारत के इसरो और यूएसए के नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक लैंड इको सिस्टम तथा समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है।

हमें अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर अत्यन्त गर्व है।

यह सभा इस सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की टीम को बधाई देती है और उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों में सफलता की कामना करती है।

सभापति-तालिका के लिए नाम-निर्देशन

1103 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 9 के अनुसार, मैंने श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, सदस्य को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है।

(प्रश्न 161)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 161, एडवोकेट फ्रांसिस जॉर्ज।

… (व्यवधान)

श्री सी. आर. पाटिल : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

(इति)

1104 hours

(At this stage, Shri Harish Chandra Meena, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shri Abhay Kumar Sinha and some other hon. Members came and stood near the Table)

… (व्यवधान)

(प्रश्न 162)

श्री बैजयंत पांडा (केन्द्रपाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा इस अहम मुद्दे पर जो जवाब रखा गया है, वह इस योजना के बारे में विस्तार से और आँकड़ों के साथ रखा गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि ग्राउंड वॉटर के लिए 'अटल भू-जल योजना' का सात प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। देश की यह एक बहुत बड़ी समस्या है। सात प्रदेशों के 229 ब्लॉक्स में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, इसमें यह देखने में आया है कि 80 से ज्यादा ब्लॉक्स में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। इसी तरह से, 50 से ज्यादा ब्लॉक्स में, जहाँ ग्राउंड वॉटर ओवर चार्ज-ओवर यूज़ हुआ है, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं।

(1105/SJN/GM)

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इस योजना को देश भर में एक्सपेंशन के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, वे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के नाते विभिन्न प्रदेश सरकारों और लोकल बॉडीज़ को करना है। … (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि इन्फॉर्मेशन के अलावा क्या हम उनको कुछ प्रोत्साहन दे सकते हैं? उनको प्रोत्साहन देकर जल्द से जल्द में देश भर में इसको लागू किया जाए। … (व्यवधान)

(pp. 3-30)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या आप प्रश्न काल में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं? क्या आप शून्य काल में अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में नहीं रखना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं। अगर आप यहां तख्तियां लेकर आएंगे, तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। क्या आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चाहते हैं? क्या आप प्रश्न काल में विभिन्न विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। क्या आपको जनता ने चुनकर यहां इसलिए भेजा है, ताकि आप नारेबाजी करें? क्या आपको तख्तियां दिखाने के लिए यहां भेजा गया है? यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। जनता के विचारों, उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपका यह तरीका उचित नहीं है। आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है। आप अपने कार्य-व्यवहार और आचरण को ठीक करिए। आपको पूरी दुनिया देख रही है। आपके मतदाता आपको देख रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए और तख्तियां हटाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1107 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/DPK/GTJ)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री अवधेश प्रसाद पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1400 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1400 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, श्री श्रीपाद येसो नाईक जी।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें तथा निबंधन) नियम, 2025, जो दिनांक 5 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 36(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ.1684(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ.481(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.2521(अ) जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ.481(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.2792(अ) जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ.1022(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.एल-1/2064/2022-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) (छठा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 24 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 2/2(2)/2011-स्था./-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/1/ओएस44(59)-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और निबंधन) (पहला संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एल-1/268/2022/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 2 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 2 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/260/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच हेतु) विनियम, 2024, जो दिनांक 17 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. जेईआरसी-35/2025 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता के लिए संरचना) विनियम, 2025, जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-36/2025 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

1401 बजे

(इस समय श्री अभय कुमार सिन्हा, श्री हरीश चंद्र मीना और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, भोपाल का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.372(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ.3706(अ) और दिनांक 19 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2819(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1848 (अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, ठाणे महानगरीय क्षेत्र के संबंध में ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना के मेट्रो संरेखण के बारे में जोड़ा गया है।

(तीन) का.आ. 1930 (अ) जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, बैंगलोर महानगर क्षेत्र के संबंध में बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना चरण-3 के मेट्रो संरेखण के बारे में जोड़ा गया है।

(चार) का.आ. 2061(अ) जो दिनांक 9 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2731(अ) तथा दिनांक 29 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3915(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(4) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत मेट्रो रेल (दावों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 402(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) : सभापति महोदय, मैं बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 55 के अंतर्गत प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के लिए व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल विनियम, 2025, जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.टीई-32/2/2023-एनएसडीए-एमओडब्ल्यूआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) : सभापति महोदय, मैं भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 35 के अंतर्गत रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति नियम, 2025, जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
विवरण

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित 'कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अंतर्गत विभिन्न विभागों/संगठनों/संस्थानों में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति (2024-25) के तीसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) गृह मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय पर समिति के 32वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति (2024-25) के पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

… (व्यवधान)

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
14th to 18th Reports

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance: -

(1) Fourteenth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the First Report of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises and Investment and Public Asset Management).

(2) Fifteenth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Second Report of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Finance (Department of Revenue).

(3) Sixteenth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Third Report of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Corporate Affairs.

(4) Seventeenth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fourth Report of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Planning.

(5) Eighteenth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fifth Report of the Standing Committee on Finance on 'Demands for Grants (2024-25) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

… (*Interruptions*)

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के दूसरे, चौथे और तेईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखे गए

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं -:

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-2026) पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित 'देश में ग्लेशियर प्रबंधन- हिमनदी झीलों के टूटने के कारण हिमालयी क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ सहित ग्लेशियरों/हिमनद झीलों की निगरानी' पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 9, श्री मुरलीधर मोहोल जी।

… (व्यवधान)

(1405/PC/RCP)

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 334वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) : माननीय सभापति महोदय, मैं नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 334वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय सभापति (श्री अवधेश प्रसाद) : माननीय सदस्यगण, आप सब अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सब सभा की कार्यवाही चलने दें।

… (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1406 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Additional allocation of Iron, Bauxite and Chromite ore mines to Odisha Mining Corporation

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): This is a fact that the State of Odisha is the only Chromite producing state in the Country and the Odisha Mining Corporation is the largest producing Mining agency in the country. Although Chromite is being produced by other Mining Lessees too, Industries across the State and beyond depend on the OMC Ltd. for Chromite the State Government has requested the Government of India for grant of extension of time period for execution of the lease deeds of Sukinda Chromite Mines I, II & III since 2023, which is yet to be decided at the level of the Government of India, Ministry of Mines, despite several requests. The OMC is providing Chromite to the State based industries and the outside industries as per availability and production. It needs more and more mines for production of both Iron Ore and Chrome Ore, which should be considered by the Ministry of Mines basing upon the requirement of the State. Government of India, instead of providing more and more mines to the Odisha Mining Corporation Ltd through reservation, is insisting on surrender of mines held under reservation by the OMC Ltd. I urge the government for reservation of more and more Iron, Bauxite and Chromite ore mines in favour of the OMC Limited. (ends)

Re: Need to formulate a comprehensive Solar-Waste management policy and to establish an advanced solar-panel recycling plant in Rajasthan

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I wish to draw the attention of the House to India's impending solar-panel waste challenge. Guided by Hon'ble Prime Minister's ambitious renewable vision, India has emerged as a global leader in solar energy. Rajasthan alone has installed 31,967.69 MW, which represents 27.5 % of the national capacity. But this success brings a parallel burden of recycling end-of-life solar panels. India could accumulate 600,000 tonnes of solar waste by 2030, ballooning to 19 million tonnes by 2050. Rajasthan's share is projected at 70,000 tonnes by 2030. These discarded modules contain critical minerals such as silicon, copper, tellurium and cadmium, all classified as strategic under the National Critical Mineral Mission. I want to appreciate the government for the 2022 amendment to the E-Waste Management Rules, that has sensibly placed solar modules under Extended Producer Responsibility. The country still needs a dedicated framework that mandates collection, safe dismantling and high-value recycling. I therefore request the Ministry of New and Renewable Energy to formulate a comprehensive solar-waste management policy with enforceable recycling targets and to facilitate the establishment of state-of-the-art solar-panel recycling plants in Rajasthan, generating green jobs and advancing India's circular-economy goals. (ends)

Re: Need to establish an Indoor Stadium in Kushi Nagar Parliamentary Constituency

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : मैं आपके माध्यम से खेल मंत्रालय, भारत सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में एक आधुनिक इनडोर स्टेडियम की अत्यंत आवश्यकता की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। कुशीनगर, जो कि एक ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है, वहाँ युवाओं की बड़ी आबादी है जो खेलकूद में सक्रिय है। परंतु, इस क्षेत्र में कोई भी सुसज्जित इनडोर खेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्षा, गर्मी अथवा ठंड के मौसम में खिलाड़ी अभ्यास से वंचित रह जाते हैं। यदि एक आधुनिक इनडोर स्टेडियम की स्थापना की जाती है, तो यहाँ के युवा बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कुश्ती, कबड्डी आदि खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने में समर्थ होंगे। यह सरकार के 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' अभियानों को भी मजबूती देगा। अतः मेरा आग्रह है कि भारत सरकार, खेल मंत्रालय के माध्यम से कुशीनगर में एक आधुनिक इनडोर स्टेडियम की निर्माण कराने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Need to increase the number of beds for patients in ESIC, Adityapur in Jamshedpur Parliamentary Constituency

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : आदित्यपुर, झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ हजारों उद्योगों का संचालन हो रहा है और लाखों श्रमिक इन उद्योगों में काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में एकमात्र 200 बेड वाला इ.एस.आई.सी अस्पताल वर्त्तमान में संचालित है। .एस.आई.सी अस्पताल आदित्यपुर का (आईपी) लगभग 2 लाख है, जो यह स्पष्ट करता है कि यहां पर हर दिन बड़ी संख्या में श्रमिक इलाज के लिए आते हैं। यह आंकड़ा यह सिद्ध करता है कि अस्पताल में बेड की संख्या बहुत कम है, यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में घाटशिला अंतर्गत मुहभण्डार क्षेत्र में HCL की कॉपर माइंस, UCIL माइंस, राइस मिल और अन्य कई नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं जिससे वहां कार्यरत श्रमिकों को चिकित्सा की कोई सुविधा नही है और यहाँ से श्रमिकों एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य सम्बंधित समस्याओं के निवारण हेतु एक-मात्र अस्पताल ESIC आदित्यपुर जाना पड़ता है जो लगभग 100 किमी से भी अधिक है। अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध हैं इ.एस.आई.सी अस्पताल आदित्यपुर में बेड्स की कम संख्या को देखते हुए ESIC अस्पताल में बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया जाए।

(इति)

Re: Need to start operation of flights from Chiyanki Airport in Palamu Parliamentary Constituency and take measures for expansion of the airport

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मेदिनीनगर स्थित चियांकी एयरपोर्ट क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) अंतर्गत उड़ान योजना में सम्मिलित किया गया है। परंतु राज्य सरकार की उदासीनता के कारण एयरलाइंस का परिचालन प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। विदित है कि डालटनगंज से रांची - कलकता - राची - डालटनगंज एवं डालटनगंज पटना - वाराणसी - पटना - डालटनगंज के मार्गों के लिए बोलियां आमंत्रित की गयी थी, परंतु कोई Airline चियांकी एयरपोर्ट की Technical Bidding में भाग नहीं लीं क्योकि चियांकी एयरपोर्ट की चाहरदीवारी सुरक्षित होने के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। अब यह प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और चाहरदीवारी सुरक्षित है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य वांछित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे पलामू एवं आस-पास के जिले के निवासियों को हवाई यात्रा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यदि हवाई यात्रा की सुविधा डालटनगंज से रांची-कलकता-रांची-डालटनगंज एवं डालटनगंज -पटना -वाराणसी -पटना - डालटनगंज तक की प्राप्त हो जाती है तो इस क्षेत्र को औद्योगिकृत करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार से मांग करता हूँ कि मेदिनीनगर स्थित चियांकी एयरपोर्ट के विस्तार एवं एयरलाइंस का परिचालन प्रारंभ कराने की कृपा की जाय।

(इति)

Re: Need to restart cruise ship service from Bargi dam to Mandla in Jabalpur Parliamentary Constituency

श्री आशीष दुबे (जबलपुर) : मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर (उत्तर प्रदेश) अंतर्गत बरगी डेम से मंडला तक क्रूज सेवा सहित जल पर्यटन की अपार संभावनाओ को ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत माँ नर्मदा जी के तट पर बरगी बान्ध से मंडला तक मध्य प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा क्रूज सेवा कई वर्षों तक संचालित थी। 100 कि.मी. की यात्रा करने वाली क्रूज सेवा में बीजाडांडी, चिरई डोंगरी और जिलेहरी घाट स्टोपेज थे उसके उपरांत मंडला पहुँचते थे । एक सफलतम प्रयोग, जल पर्यटन के प्रति आकर्षण, स्थानीय यात्रियों को सुविधा तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के निकट ले जाने के सुगम साधन के रूप में आज सभी लोग इस सेवा को पुनः प्रारंभ करवाने हेतु लालायित हैं । विश्व प्रसिद्ध नर्मदा जी के पावन तट पर देश ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व से श्रद्धालु एवं पर्यटक यहाँ आते हैं । अतः सरकार से विनम्र निवेदन है, कि इसे योजना का सञ्चालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए एवं अत्याधुनिक क्रूज मुहैया करवाते हुए, केंद्र द्वारा इसका सञ्चालन किया जाय । निश्चित रूप से यह क्रूज सेवा पूरे देश के लिए उदाहरण बनकर, देश में पर्यटन के नए द्वार खोलेगा ।

(इति)

Re: Need for establishment of cowshed (Gaushala) in every district of the country

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : आज मैं सदन में अपने क्षेत्र की समस्या तो रख ही रहा हूँ मैं समझता हूँ यह देश व्यापी समस्या है। अत्यंत दुःख होता है जब हम राजमार्गों पर चलते हैं और वहां बेसहारा गोवंश को भटकते हुए देखते हैं तो मन अत्यंत व्यथित होता है। वही पीड़ा मैं आज सदन से साझा कर रहा हूँ, पहला निवेदन मेरा आमजनों से है कि गोवंश को बेसहारा होने ही नहीं दें क्योंकि इन्ही गोवंश से हमें दूध मिलता है, इन्ही के गोबर से जैविक खाद बनती है। सेवा भाव से नहीं तो कम से कम अपने ही स्वार्थ के लिए गोवंश को बेसहारा न होने दें। दूसरा आग्रह मेरा सरकार से है कि इन गोवंश को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए प्रत्येक जिले में 200 एकड़ भूमि में सर्व सुविधायुक्त गोशाला बने तथा वहां कार्यरत कर्मचारियों अथवा सेवा कर्मियों के गोपालन से सम्बंधित ही रोजगार की कोई योजना बने। ऐसा करने से गोवंश भी संरक्षित होंगे और होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आएगी।

(इति)

Re: Utilization of land acquired by now closed down NTPC Power house in Badarpur in South Delhi Parliamentary Constituency

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं आपका ध्यान दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में स्थित बदरपुर के एनटीपीसी पावर हाउस की जमीन के संबंध में दिलाना चाहता हूं। इस जमीन का अधिग्रहण 1960 और उसके बाद केवल 50 पैसे से 2 रुपए प्रति गज की दर से किया गया था। बदरपुर, मोलडबंद, आली और जैतपुर गांवों के किसानों की सैंकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था। एनटीपीसी पावर हाउस भी बंद हो चुका है। अब इस जमीन पर दक्षिण दिल्ली के लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल और एक पार्क बनाया जाना चाहिए। बदरपुर में जो एक बड़ा स्टेडियम था, वह बदरपुर बॉर्डर तक मेट्रो पहुंचाने और एलिवेटिड रोड बनाने में खत्म कर दिया गया था। 1960 में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, उनमें से कुछ किसानों ने आज तक उसका मुआवजा भी नहीं लिया। अब इस जमीन का उपयोग क्षेत्र के लोगों के लिए ही किया जाए ताकि कौड़ियों के दाम पर ली गई उनकी इस जमीन पर स्टेडियम, कॉलेज, अस्पताल और स्कूल खुलने से उन्हें उनकी भावनाओं और त्याग का प्रतिफल मिल सके। यह जमीन अब भारत सरकार के आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को हस्तांतरित की जा चुकी है।

(इति)

Re: Need to introduce a direct flight service between Silchar and New Delhi

श्री परिमल शुक्लबैद्य (सिल्चर) : मैं आपके माध्यम से नागरिक विमानन मंत्रालय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। असम के बराक घाटी क्षेत्र का प्रमुख नगर सिलचर आज भी देश की राजधानी नई दिल्ली से सीधी हवाई सेवा से वंचित है। वर्तमान में यात्रियों को कोलकाता या गुवाहाटी के माध्यम से लंबी और समय-खपत वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स का सहारा लेना पड़ता है, जिससे यात्रा का कुल समय पाँच घंटे से अधिक हो जाता है। इससे यात्रियों को समय, धन और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। सिलचर न केवल असम, बल्कि मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एक रणनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से केंद्रीय स्थान है। यहाँ से दिल्ली की ओर छात्रों, मरीजों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों की भारी आवाजाही होती है। सीधी उड़ान सेवा आरंभ होने से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन और व्यापार को गति मिलेगी, तथा 'उड़ान योजना' के तहत आमजन के लिए किफायती और सुलभ हवाई सेवा सुनिश्चित हो सकेगी। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सिलचर से नई दिल्ली के लिए शीघ्र सीधी विमान सेवा प्रारंभ की जाए। (इति)

Re: Need to provide funds and technical assistance under PM Kisan Sampada Yojana to set up food processing industries in Shahjahanpur district, Uttar Pradesh

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उ०प्र० राज्य के शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में आलू, गेहूँ, धान और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है. जो इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए आदर्श बनाता है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से स्थानीय किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य और बाजार तक पहुँच मिल सकती है। वर्तमान में. ऐसी इकाइयों की कमी के कारण किसानों को कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ती है, जिससे उनकी आय प्रभावित होती है और उपज का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। यह आर्थिक नुकसान का प्रमुख कारण है।

आलू (जैसे चिप्स, स्टार्च), गेहूँ (जैसे आटा, बिस्किट) और गन्ना (जैसे चीनी, गुड़, इथेनॉल) आधारित उत्पाद स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बेरोजगारी और पलायन की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है, खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, जो स्थानीय लोगों को उद्यमिता के अवसर प्रदान करें।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शाहजहाँपुर जनपद में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत त्वरित धनराशि और तकनीकी सहायता दी जाए। कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग इकाइयों और विपणन केंद्र स्थापित किए जाएँ। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ लागू की जाएँ। एक संयुक्त समिति बनाई जाए, जो परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करे और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। (इति)

Re: Need to set up a Cold Storage at Hinjili in Aska Parliamentary Constituency

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): Hinjili is located in the district of Ganjam of the State of Odisha and very famous for vegetable Production. There is great demand for vegetables in the neighbouring districts and towns. The vegetable growers of Hinjili use to sell vegetable on road sides in the absence of dedicated vending Zone. Vegetables are perishable so it needs cold storage facility to assure price to vegetable Farmers. Cold storage facility will definitely minimise the wastage of vegetables. So I urge the Central Government to allocate financial package of Rs 700 crores for setting up of a cold storage for vegetables at Hinjili during current financial year for which people of my Parliamentary Constituency Aska will be obliged.

(ends)

Re: Providing water to Jalore and Sirohi districts of Rajasthan for drinking & irrigation purposes

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : मैं डार्क जोन जिला जालोर और सिरोही को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के विषय को सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। खोसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितम्बर 1965 के अनुसार गुजरात राजस्थान के बीच बोर्डर पर कडाणा बांध प्रस्तावित था। दिनांक 01 अक्टूबर 1966 को राजस्थान एवं गुजरात सरकार के बीच माही जल बंटवारा समझौता में कडाणा बांध का निमार्ण हुआ। समझौते के अनुसार गुजरात के खेडा जिले को कडाणा बांध से पानी तब तक मिलेगा जबतक नर्मदा का पानी नही आता है चूँकि अब नर्मदा का पानी गुजरात के खेडा जिले को मिल रहा है तो स्वत ही समझौते के अनुसार कडाना और माही बांध के पानी का 2/3 भाग राजस्थान के सिरोही जालोर तय हो चुका था। जो समझौता के अनुसार सिरोही जालोर को पानी मिलना था। कडाना बांध का ओवर फलो हो कर सुजलाम नहर के द्वारा पानी समुद्र मे जा रहा है वापकॉस कम्पनी गुडगाव द्वारा सर्वे कर जिसमे बताया गया कि 37 साल में 27 बार ओवरफलो होकर 1.30 लाख एमसीएम पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो गया है। सुजलाम सुफलाम नहर को सुदृढीकरण कर नर्मदा कैनाल में जोडा जाए जिससे की जालोर सिरोही को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए।

(इति)

Re: Need to take stringent action against companies involved in production and sale of spurious fertilizers and seeds

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : हाल ही में राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में छापेमारी के दौरान नकली खाद और बीज बनाने वाली कई फैक्ट्रियाँ पकड़ी गईं। इन फैक्ट्रियों में लाखों की संख्या में नकली यूरिया, DAP और नकली बीजों के कट्टे जब्त किए गए। इनमें से कुछ उत्पाद जानी-मानी कंपनियों के नाम से डुप्लीकेट लेबल लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचे जा रहे थे। यह एक प्रकार का कृषि धोखाधड़ी का संगठित गिरोह है, जो किसानों की मेहनत, भूमि की उर्वरता और देश की खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नकली खाद और बीजों के कारण किसान फसल नुकसान, कर्ज में डूबना, और आत्महत्या तक की स्थिति में पहुँच रहे हैं। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नकली खाद-बीज बनाने और बेचने वाली इकाइयों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और बंद करवाने हेतु सघन जांच अभियान चलाया जाए। इस पूरे नेटवर्क की CBI या ED से स्वतंत्र जांच कराई जाए। जिन कंपनियों के नाम पर नकली माल बनाया गया, उन कंपनियों से भी जवाबदेही ली जाए कि वे आपूर्ति श्रृंखला पर कैसे नियंत्रण कर रही हैं। किसान राष्ट्र की रीढ़ हैं, और उनके साथ धोखा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अपराध है। सरकार को इसे प्राथमिकता से लेना होगा।

(इति)

Re: Merger of Kamptee Cantonment Board, Maharshtra with Municipal Corporation

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान रामटेक लोक सभा क्षेत्र के कामठी छावनी परिषद क्षेत्र में रह रहे नागरिकों को हो रही तीन गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा 23 मई 2022 को जारी पत्र क्रमांक 1466 तथा 13 फरवरी 2024 के पत्र के अनुसार सभी छावनी परिषदों के नागरिक क्षेत्रों को संबंधित नगर निकायों में विलय किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए गठित 7-सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की बैठक 25 जून 2024 को डिफेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी। । इसमें यह तय हुआ था कि नागरिक क्षेत्रों का विलय नगर निकायों में कर दिया जाए। परंतु कामठी छावनी परिषद ने अब तक कोई प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को नहीं भेजा है, जिससे नागरिकों में भारी असंतोष है। छावनी परिषदों के बोर्ड विगत 5 वर्षों से भंग हैं, और केवल नामांकित सदस्य ही कार्यरत हैं, जिनकी लोकतांत्रिक वैधता नहीं है। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि: कामठी छावनी का विलय प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाए। लीज रेंट नीति में न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। सभी छावनी परिषदों में शीघ्र चुनाव कर लोकतांत्रिक बोर्ड गठित किए जाएँ।

(इति)

Re: Need to expedite the River Musi Rejuvenation Project

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): I would like to bring to your kind notice regarding the dire need to rejuvenate the Musi river in Hyderabad City in the State of Telangana for its beautification also by preventing the sewage flows into Musi and proposed to lay Trunk and Interceptor sewers on either side of Musi river for a total length of 55 km. It is also proposed to lay a total length of about 110 km of Trunk sewers and the intercepted raw sewage will be conveyed to the existing and new sewage treatment plants will be treated and released into the Musi river for its Rejuvenation. The Total cost estimated for DPR is Rs.4000 Crore which is pending with the Union Government. At present, sewage flows through storm water Nalas into the Musi river and causing sewage pollution and unhygienic environment in the city of Hyderabad and the State has taken this project as a prestigious one and committed to rejuvenate it on top priority to make Hyderabad as World Class City and to save the precious lives of humans, animals, etc. Our Hon'ble Chief Minister of the State of Telangana has already requested the Union Government to take urgent steps for rejuvenating the Musi river and develop it on par with Sabarmati riverfront and other projects. Therefore, I request the Hon'ble Minister of Housing and Urban Affairs, through the Chair, to kindly intervene in the matter to expedite this project.

(ends)

Re: Recent ceasefire between India and Pakistan

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : भारत की विदेश नीति सदैव आत्मनिर्भरता, रणनीतिक स्वतंत्रता और “India decides for India” के सिद्धांत पर आधारित रही है। लेकिन मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक घोषित संघर्ष विराम को लेकर अनेक गंभीर प्रश्न उठे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषकों का कहना है कि इस निर्णय से ठीक पहले भारत को सैन्य रूप से स्पष्ट बढ़त प्राप्त थी, बावजूद इसके संघर्ष विराम की घोषणा ने संदेह पैदा किया है कि कहीं यह अमेरिका के दबाव या मध्यस्थता का परिणाम तो नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर हम सभी को विश्वास है, लेकिन यदि इस चर्चा में थोड़ी भी सच्चाई है, तो यह भारत की रणनीतिक संप्रभुता और संसद की भूमिका पर सीधा प्रश्नचिह्न है। यह केवल विदेश नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा है। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं: 1. क्या अमेरिका या किसी अन्य देश ने संघर्ष विराम में कोई भूमिका निभाई? 2. क्या संघर्ष विराम से पहले कोई उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता हुई? 3. क्या भारत पर किसी प्रकार का दबाव डाला गया?

(इति)

Re: Need to take comprehensive measures to address stray dog attacks and rabies deaths in Kerala

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I rise to draw the attention of the House to the alarming rise in rabies deaths and stray dog attacks in Kerala. In the first five months of 2025 alone, the state recorded over 165,000 dog bite cases and at least 17 confirmed rabies deaths, including multiple children, despite timely vaccinations. This points to grave public health failures and possible issues with vaccine efficacy or delivery. The uncontrolled growth of the stray dog population, poor implementation of Animal Birth Control (ABC) measures, and under utilisation of central funds have worsened the crisis. I urge the Union Government to direct the State Government to constitute an emergency rabies task force; Mandate full execution of ABC and immunisation protocols; Provide pre-exposure prophylaxis (PrEP) to high-risk groups, especially children; and Empower Sub-Divisional Magistrates (SDMs) with authority to order humane culling of dangerously aggressive or rabies-suspected stray dogs, akin to the powers vested in wildlife wardens to shoot violent wild animals. This is not only a public health issue but a matter of safety and dignity for citizens. I request urgent and decisive intervention.

(ends)

Re: Closing down of schools in Chandauli district, Uttar Pradesh

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : भारत सरकार की नई शिक्षा व्यवस्था के तहत पहला प्रहार प्राथमिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों पर हुआ है। जहाँ पूर्व की सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की थी, यहाँ तक कि पाठशालाओं में बच्चों को आकर्षित करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. से जुड़ी पुस्तकै, उनको पहनने के लिए यूनिफोर्म तथा बैठने के लिए टाट के स्थान पर फर्नीचर लगाकर साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने का कार्य किया था। पूर्व की सरकारों का ऐसा मानना था कि गरीबों, आदिवासियों के जीवन स्तर एवं सामाजिक स्तर में सुधार का एक मात्र साधन शिक्षा व्यवस्था है। यदि प्राथमिक शिक्षा में १०० बच्चों में से गरीबों और आदिवासियों के 10 बच्चे भी आगे बढ़ जाते है तो सरकार इसे अपनी सफलता मानती थी। परन्तु वर्तमान सरकार और आरएसएस के नीतियों ने गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का जो प्रयोग किया है, उससे समूचा देश चिंतित हैं। एक और आंकड़ा आ रहा है कि 2014 से 2024 के बीच लगभग 91,000 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। यह आंकड़ा कहाँ तक सही है इसकी भी जानकारी देने का कष्ट करें । हमारे देश का जनपद चंदौली जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक आदिवासी एवं गरीब बाहुल्य क्षेत्र है तथा आकांक्षी जनपद भी है, वहां कितने विद्यालयों को बंद किया गया है अथवा मर्ज किया गया है तथा उसके स्थान पर गाँव के अन्दर ही देसी शराब की दुकानों को खोलकर उन गरीबों और आदिवासियों के जीवन को नारकीय बनाया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते है कि इस नए प्रयोग के आदेश को तत्काल वापस ले ताकि गरीबों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।

(इति)

Re: Need to establish a dedicated Handloom cluster in Kancheepuram Parliamentary Constituency

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): Kancheepuram Parliamentary Constituency in Tamil Nadu is renowned globally for its rich tradition of silk weaving and handloom craftsmanship, particularly the iconic Kancheepuram silk sarees. Thousands of families in the region are dependent on the handloom sector for their livelihood. However, they face challenges such as lack of modernization, inadequate access to raw materials, poor marketing infrastructure, and limited financial support. In this context, I urge the Government to consider establishing a dedicated Handloom Cluster in Kancheepuram Parliamentary Constituency under the National Handloom Development Programme (NHDP) or other suitable schemes. Such a cluster will help in upgrading technology, improving productivity, ensuring better market linkages, and enhancing the income of weavers.

(ends)

Re: Construction of new National Highway-19 in Bihar

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान सारण, सीवान, गोपालगंज होते हुए नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा तक नए राष्ट्रीय उच्च पथ -19 और सारण बांध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सारण बांध मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज जिले के लिए उपयोगी मार्ग है जो कि लोगों को इन सभी जिलों से जोड़ता है। सारण तटबंध अथवा उसके समानांतर गंडक नदी की तरफ आबादी रहित उपलब्ध जमीन पर (सोनपुर-दरियापुर-मकेर-अमनौर-तरैया-पानापुर-मसरख-बैकुंठपुर-सिधवलिया-बरौली-माझी-मंगलपुर) होते हुए नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा तक नए राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण होने से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आबादी को लाभ होगा तथा राज्य की राजधानी पटना की दूरी भी इन जिलों से 3 से 4 घंटा कम हो जाएगी। इस पथ के निर्माण होने पर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 19, 27 एवं 28-बी इससे जुड़ जाएंगे। इलाकों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। कृषि उत्पादों के लिए बिहार के विभिन्न क्षेत्रों एवं नेपाल की विस्तृत बाजार तक पहुंच बढ़ेगी। अतः मैं आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के विकास के लिए सारण तटबंध को भी नेशनल हाईवे-19 (मकेर-तरेया-राजापट्टी-बैकुंठपुर-खजुरिया-मंगलपुर) को शामिल किया जाए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने के बाद सारण बाँध पर नेशनल हाईवे का काम शुरू किया जाये।

(इति)

Re: Need to review the decision for realignment of Pune-Nashik Semi-High Speed Railway Project in Maharashtra

DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): I strongly object to the Pune-Nashik Semi High-Speed Railway Project's proposed realignment, which will have a devastating impact on Junnar and Ambegaon talukas in my Shirur Parliamentary Constituency. The 2.5 lakh people residing in these areas will suffer significant economic loss, estimated at ₹5,000 crore, and over 10,000 job opportunities will be lost. Decades of development will be delayed, setting back the region's progress. The concern about GMRT interference is overstated. Global precedents demonstrate that railway operations and sensitive installations can coexist. There are about 16 documented instances worldwide, including CERN's Large Hadron Collider in Geneva, which operates near high-speed rail lines. Similarly, metro projects in Paris and London have tunnels and sensitive installations coexisting without issues. I urge the Government to reconsider the proposed realignment, prioritize the original plan, and ensure timely completion and benefits to the region. The people of Shirur Parliamentary Constituency have waited 30 years for this project, and further delays are unacceptable. I request the Government to take immediate action, adhering to the original plan and delivering the project to the people who need it most.

(ends)

Re: Need to provide free education to children who lost their father during Covid period

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : मैं सरकार का ध्यान अत्यंत संवेदनशील और मानवीय विषय की ओर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वर्ष 2019-20 के दौरान कोविड-19 महामारी ने महाराष्ट्र सहित समूचे देश में लाखों परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुँचाई। विशेष रूप से वे परिवार, जिनमें बच्चों के पिता इस महामारी में असमय काल का ग्रास बने, आज भी सामाजिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में विधवा माताओं के लिए अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाना अत्यंत कठिन हो गया है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में कोविड-19 के कारण पितृवियोजित हुए विद्यार्थियों को पहली से दसवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और यह सुविधा "नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)" के अंतर्गत सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी राज्य सरकारें समन्वय कर कार्य करें, जिससे किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे विद्यार्थियों की शीघ्र पहचान कर, उनके लिए स्पष्ट और प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए, तथा सभी शासकीय एवं अशासकीय अनुदानित विद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ। यह कदम न केवल इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की भी पूर्ति करेगा।

(इति)

Re: Need for comprehensive measures to curb use and selling of banned pesticides in the country

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): I wish to bring to the attention of the House the alarming situation regarding the continued use of banned and unapproved pesticides across the country. Despite regulatory frameworks, many farmers are still using harmful chemicals that are either banned by the Central Government or not approved by the Central Insecticides Board. According to official data, 3,60,614 pesticide samples were tested nationwide over the last five years. Out of these, 9,233 samples were found to contain banned or unapproved pesticides. In 2024 alone, 45,837 samples were tested, with 1,753 violations reported. Such substances pose a serious threat to the health of farmers and consumers, and to our environment. There are disturbing reports of health hazards, including fatalities, due to exposure to these pesticides. In Kerala, two deaths were reported recently in this context. This highlights the urgent need for stricter monitoring and enforcement. I urge the Central Government to take immediate steps to curb the sale and use of banned pesticides, ensure strict compliance across all states, increase farmer awareness, and promote eco-friendly alternatives. The health and safety of our farmers and citizens must be given top priority.

(ends)

Re: Need for fixation of Minimum and Maximum age limits for graduate level competitive examinations in line with UPSC Norms

DR. D. RAVI KUMAR (VILUPPURAM): I am voicing a critical concern affecting millions of government job aspirants, particularly from economically disadvantaged backgrounds. The minimum age limit of 18 years for graduate-level competitive exams like SSC CGL, RRB NTPC, and FCI is impractical, as most candidates complete graduation by the age of 21. This results in the loss of three crucial years for many. Additionally, low upper age limits (27–30 years) unfairly exclude late starters constrained by financial or family challenges. In contrast, UPSC offers an upper age limit of 32 years for general candidates. To ensure fairness and inclusivity, I urge the Government and DoPT to set the minimum age limit to 21 years for all graduate-level recruitment exams; and Standardize upper age limits to match UPSC: 32 years (General), 35 years (OBC), 37 years (SC/ST). These changes will create a more equitable system aligned with aspirants' realities.

(ends)

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सब अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं और सदन की कार्यवाही चलने दें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही आज चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1407 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोलह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1600/SPS/PS)

1600 बजे

लोक सभा सोलह बजे पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष : माननीय पीयूष गोयल जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पर चर्चा हो रही है। आप सदन की गरिमा रखा कीजिए। चलिए अपनी सीट पर बैठिए।

… (व्यवधान)

भारत-संयुक्त राज्य द्विपक्षीय व्यापार के बारे में वक्तव्य

1600 बजे

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं सदन को 30 जुलाई, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त, 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। … (व्यवधान) 2 अप्रैल, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्ज़िक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10 परसेंट की बेसलाइन डयूटी 5 अप्रैल, 2025 से लागू हो गई थी। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10 प्रतिशत के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26 प्रतिशत की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल, 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया।

भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल, यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक, समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फ़िज़िकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप दिया। इसके बाद, दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वाशिंगटन डी.सी. में चार दौर में फ़िज़िकल मीटिंग्स हुई हैं, ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके।

इसके अलावा, दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम

उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रेजाइल फाइव अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं।

(1605/KN/SMN)

यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।

पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवा, कुशल एवं प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेज़ी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा (EFTA) देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ... (व्यवधान) हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज़ गति वाली यात्रा जारी रखेंगे।... (व्यवधान)

"आत्मनिर्भरता की ओर, भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है।"

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल।

... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल। अगर आप शून्य काल चलाना चाहते हैं तो अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री वी. के. श्रीकंदन।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर।

… (व्यवधान)

1608 hours

(At this stage, Dr. Mohammad Jawed, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shri Abhay Kumar Sinha and some other hon. Members came and stood near the Table)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप शून्य काल नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप बोलना चाहते हैं? आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं या नारेबाजी करना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हों तो आप अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आपको नारेबाजी करनी है तो आप सदन के बाहर सड़कों पर कीजिए। यहां नारेबाजी एलाउड नहीं है। आप अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1609 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 / 10 श्रावण, 1947 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।